

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-३ राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

टेलीफौक्स:- 0141-2222403, ई-मेल:-dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:-www.lsg.urban.rajasthan.gov.in
क्रमांक :- एफ 55()Engg./CE/DLB/19/ ५११८४-५११९५ दिनांक :- १९.७.१९

आयुक्त, नगर निगम, जयपुर।
आयुक्त, नगर निगम, उदयपुर।
आयुक्त, नगर परिषद, सीकर।
आयुक्त, नगर परिषद, डूंगरपुर।
आयुक्त, नगर परिषद, प्रतापगढ़।
अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, पुष्कर।


विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण(एनजीटी) में वाद सं. 606/18 की पालना में आपके शहर को मॉडल सिटी/टाउन बनाने की ओर की गयी प्रगति के संबंध में।

विषयान्तर्गत संदर्भित लेख है कि माननीय एनजीटी के वाद सं. 606/2018 में दिये गये निर्देशों की पालना में आपके शहर को मॉडल सिटी/टाउन बनाये जाने के निर्देश आपको पूर्व में दिये जा चुके हैं।

समीक्षा बैठकों को आयोजन कर आपके द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा की गई, जिनमें आपके द्वारा माननीय एनजीटी के द्वारा निर्धारित गतिविधियाँ निर्धारित समय में करने के निर्देश आपको श्रीमान् शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा प्रदान किये गये।

जैसा कि आपको विदित है, मॉडल सिटी/टाउन में माननीय एनजीटी द्वारा निर्देशित बिन्दुओं की पालना कर रिपोर्ट दिनांक 20.07.2019 से पूर्व निदेशालय को प्रेषित की जानी है। जिससे पालना रिपोर्ट से पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जा सके।

अतः आपसे आग्रह है कि माननीय एनजीटी के निर्देश की पालना में आपके शहर को मॉडल शहर बनाये जाने की कार्यवाही का विवरण निदेशालय को cedlbjp@gmail.com पर 7 दिवस में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।


(उज्ज्वल राठौड़)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव
दिनांक :- 19.7.19

क्रमांक :- एफ 55()Engg./CE/DLB/19/ ५११८४-५११९५
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।

2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), जयपुर, उदयपुर, अजमेर।
4. जिला कलेक्टर, जयपुर, उदयपुर, अजमेर।
5. निजी सहायक, मुख्य अभियंता, निदेशालय।
6. प्रोग्रामर, वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. सुरक्षित पत्रावली।


(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता